जागृत आदिवासी दलित संगठन

मध्य प्रदेश

दिनांक

03.09.20

प्रति,

1. जिला कलेक्टर महोदय
   जिला बुरहानपुर
   मध्य प्रदेश
2. पुलिस अधीक्षक महोदय,
   जिला बुरहानपुर,
   मध्य प्रदेश

<u>विषय: ग्राम रहमानपुर के वन अधिकार दावेदारों को वन विभाग द्वारा अवैध रूप से बंधक बनाए जाने एवं बर्बर मारपीट और झूठे प्रकरण मे फसाने मे कार्यवाही</u>

महोदय

हम इस पत्र के माध्यम से आपको ग्राम रहमानपुर, ब्लॉक खकनार, ज़िला बुरहानपुर के वन अधिकार दावेदारों के साथ वन अमले द्वारा अपहरण कर बर्बरता कर रेंज ऑफिस में रात भर बर्बर मारपीठ कर अगले दिन झूठे प्रकरण में फसाने और इस माध्यम से आदिवासी समाज मे दहशत फैलाने के प्रयास के बारे में विस्तृत जानकारी दे कर आपसे दोषी अमले पर तत्काल फ़ौजदारी कार्यवाही की मांग करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, 29 अगस्त को खक्नार रेंज के अमले ने 2 आदिवासियों को पकड़ कर रात भर बंधक बनाने के बाद उन्हे 30 अगस्त को बुरहानपुर कोर्ट मे पेश किया था। उनकी जमानत लेने गए उनके गाँव के कैलाश जमरे और प्यारसिंग वासकले को कोर्ट परिसर में से वन अमले द्वारा अपहरण कर रात भर मार पीट किया गया जिस कारण अगले दिन, 31 अगस्तको कोर्ट मे लाए जाने पर कैलाश जमरे गश खा कर गिर गए, उनके शरीर पर कई चोटें पाये गए और वे अभी अस्पताल में भर्ती हैं। संभवतः पहले उठाए गए जबरसींग पिता केरिया और सोमला पिता चमारसिंग के साथ भी मार पीट हुआ है। इन लोगों पर कई प्रकार के मनगढ़ित झूठे प्रकरण लगा कर इन्हे प्रताड़ित किया जा रहा है। आदिवासियों को वन अधिकार कानून के तहत कानूनी अधिकारों से वंचित रखने के लिए और वन अमले के मिलीभगत के साथ घाघरला और कई अन्य जगह अवैध कटाई से ध्यान हटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कैलाश भाई संगठन के अन्य साथियों के साथ मिल कर प्रशासन से इस कटाई के खिलाफ कई बार शिकायत भी कर चुके है और दिनांक 27.08.2020 को कलेक्टर महोदय से हुए मुलाक़ात में भी यह प्रत्यक्ष रूप से यह शिकायत की गयी थी।

विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है-

1. ग्राम रहमानपुर में वर्तमान में निवास कर रहे दावेदार 1979 से भौराघाट पंचायत के तंगियापाठ में खेती करते आए है | वे वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत पात्र दावेदार है | पूर्व में उनके द्वारा दावे भी जमा किए गए है, जिनको बिना कानूनी प्रक्रिया के पालन किए निरस्त कर दिया गया था | वर्तमान में उनके द्वारा मप्र वनमित्र पोर्टल में दावे जमा किए जाने की प्रक्रिया चालु है | वर्तमान में वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ही लोगो के द्वारा खेती की जा रही है एवं दावेदारों द्वारा जोवार एवं तिल्ली जैसी फसले बोई भी गई है एवं वर्तमान में दावेदार मौके पर काबिज़ है |
2. दिनांक 29 अगस्त 2020 को दोपहर को लगभग 3-4 बजे बाजार करने गए जबरसिंह पिता केरिया एवं सोमला पिता चमारसिंह को वन विभाग ने बिना सुचना के बाजार से उठाया गया | उठाए जाने की कोई भी लिखित/मौखिक सुचना एवं उठाए जाने का कारण नहीं बताया गया | देर रात को नाकेदार द्वारा यह खबर मिली कि वह खकनार रेंज में बंद किए गए है, और गाँव वाले अगले दिन आकर जमानत ले सकते है |
3. अगले दिन दिनांक 30 अगस्त 2020, बुरहानपुर न्यायलय में उनको पेश किया गया, जहाँ वकील के माध्यम से पता चला कि उन पर झूठे आरोपों के अंतर्गत केस दर्ज किया गया था | यह आरोप पूर्ण रूप से झूठे एवं निराधार है, तथा इसके विरुद्ध आज तक कोई भी सबूत नहीं पेश किए गए है |
4. उनकी जमानत करने उनके गाँव से कैलाश जमरे, प्यारसिंह वास्कले एवं उनके एक साथी कोर्ट में आए थे | जब जमानत की सुनवाई के बाद निकले, तभी उनको न्यायलय के बहार खकनार रेंज के रेंजेर अभय सिंह तोमर सहित अन्य वन अमले द्वारा उठा लिया गया | देर रात तक उनके परिवार अथवा ग्राम वासियों को न ही पता चला कि वे कहाँ है, न ही यह पता चला कि उन्हें किस आधार पर उन्हें उठाया गया |
5. कोई भी खबर नहीं मिलने के कारण उनके गाँव वाले देर रात को खकनार थाने पर शिकायत करने गए, जहाँ उनकी शिकायत दर्ज करने की जगह FIR लिखने से इनकार कर, उन्हें उल्टा गलत जानकारी के साथ गुमराह किया गया की कैलाश और प्यारसिंह को बुरहानपुर भेज दिया गया है, और उनकी जानकारी लेने आए लोगो पर ही केस दर्ज करने की धमकी दी गई |
6. इस बीच कैलाश एवं प्यारसिंह को रेंज ऑफिस में ले जाकर रखा गया एवं उनके साथ बहुत मारपीट की गई | **उनको खकनार रेंज के रेंजर रूपा मोरे, नाकेदार अर्जुन राणा सोलंकी, बोरदली रेंज के रेंजर एवं अन्य वन अमले द्वारा बारी बारी कर, हाथ पैर पकड़ कर लठ से कमर के नीचे यह कह कर पीटा गया कि "तु ही खकनार रेंज का संगठन चलाता है और ज्यादा कानून करता है, ... देखते है तेरी संगठन कितनी मजबूत है |"** इससे साफ़ है कि कैलाश भाई के ऊपर संगठन में रहकर कानूनी अधिकारों का प्रचार करने का ही बदला लिया गया है |
7. दिनांक 31 अगस्त 2020 रविवार को सुबह उनके गाँव वालों को पता चला की उनको खकनार रेंज ऑफिस में ही बंद रखा गया था, एवं उनकी जिला न्यायलय में सुनवाई तय थी | कैलाश का कहना है कि रास्ते में उनका वन अमले द्वारा मेडिकल (MLC) के लिए खकनार के सामुदायिक स्वस्थ केंद्र में पेश किया गया, परन्तु वहां पर वन अमले ने नर्स को चोटों का विवरण लिखने से मना करवा दिया | कैलाश और प्यारसिंह ने जब उन्हें अपनी चोटों और तकलीफ बताई, तो डॉक्टर ने उनको बताया कि सिर्फ पुरानी बीमारियों का बताना है, अभी की परेशानी नहीं |

8. इस तरह से सुनवाई के लिए जब कैलाश और प्यारसिंह को कोर्ट में लाया गया तब रातभर हुई मारपीट के कारण उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि कैलाश कोर्ट में घुसते हुए ही वह बेहोश होकर गिर गए |
9. कोर्ट में बेहोशी के बाद कैलाश को छोड़ कर ज्यादातर फारेस्ट अमला डर के मारे भाग खड़ा हुआ था | परिवार द्वारा अपनी गाडी में लेजाता देख उनको वन अमले के द्वारा उनको जिला अस्पताल ले जाया गया | उनके परिवार के अनुसार, वहां पर उन पर ध्यान नहीं दिया गया एवं डॉक्टरों द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणिया होती रही | बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में एमएलसी होना असंभव है | एमएलसी के बारे में न ही कैलाश न उनके घर वालों को कोई भी जानकारी मिली | जिला अस्पताल में डॉक्टरों की उदासीनता एवं नियमित जांच न होने से परेशान होकर कैलाश के परिवार वालों ने उनको एक प्राइवेट अस्पताल (All Is Well) में भर्ती करने पर मजबूर हो गए, भले ही ज्यादा पैसे लगते |
10. अस्पताल ले जाने के बाद भी उनकी हालत में सुधार नहीं आया है | उन्होंने लगभग **5 दिन से कुछ भी खाया नहीं गया है**, यानी वे केवल ड्रिप के सहारे जिन्दा है | इसके अलावा उन्हें साँस लेने, चक्कर और सर दर्द की तखलीफ़ है |
11. कैलाश जमरे एवं प्यारसिंह वास्कले द्वारा लगातार घाघरला में चल रही कटाई के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही थी एवं वे संगठन के बाकी कार्यकर्ताओं के साथ दिनांक 27.08.20 को आपके कार्यालय में कटाई के खिलाफ राजनैतिक ताकतों एवं वन विभाग की मिली-भगत के बारे में कलेक्टर महोदय से शिकायत भी करने आए थे | वन विभाग द्वारा अवैध कटाई न रोक कर वन अधिकार दावेदारों को ही 'नया' अतिक्रमणकारी बता कर अँगरेज़ कानून की धाराओं में फंसाया जा रहा है |

अतः हम आपसे मांग करते है कि-

1. तुरंत खकनार रेंज के रेंजर अभय सिंह तोमर, रूपा मोरे, दोईफोडिया बीट के नाकेदार राजेश सोलंकी, बोरदली रेंज के रेंजर, एवं अन्य वन अमले द्वारा कैलाश एवं प्यारसिंह के साथ हुई अवैध मारपीट के खिलाफ वन अमले एवं दोषी वन विभाग अधिकारियों पर अपहरण, अवैध रूप से बंधक बनाने और मारपीट के सम्बन्ध में भारतीय दंड संहिता और अत्याचार अधिनियम के सम्बंधित धाराओं के साथ FIR दर्ज की जाए और उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए |
2. वन अधिकार दावेदारों पर लगे जाने वाले फर्जी केसों को तुरंत ख़ारिज किए जाए – बिना सबूत एवं बिना ठोस इल्जाम के वन विभाग द्वारा वन अधिकार दावेदारों पर लगातार झूठे केस लगाकर उन्हें जेल भिजवा कर आदिवासी समाज में दहशत फ़ैलाने की कोशिश की जा रही है |
3. वन विभाग द्वारा बिना गिरफ्तारी के सुचना एवं कारण के जबरसिंग पिता केरिया एवं सुमला पिता चमारसिंह को उठाए जाने के लिए ज़िम्मेदार वन विभाग अधिकारीयों पर दंडात्मक कार्यवाही की जाए, उनके साथ हुए व्यवहार में उनके बयान अनुसार कार्यवाही की जाए |

4. घाघरला में वन कटाई को वन विभाग द्वारा संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर तुरंत कार्यवाही की जाए | इस कटाई पर तुरंत रोक लगाई जाए, सभी दोषियों पर कार्यवाही की जाए और क़ानून के अंतर्गत पत्र दावेदारों को बिना रोकटोक इज्ज़त के साथ पूरा कानूनी अधिकार दिया जाए |

प्रतिलिपि-

1. माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल;
2. प्रमुख सचिव, वन विभाग, भोपाल;
3. प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल

जागृत आदिवासी दलित संगठन कि ओर से,

आवेदाकगण